समाचार

प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग्स आदि का उपयोग न करें–आयुक्त

(इनका उपयोग करते पाए जाने पर नियमों के तहत होगी जप्ती व अर्थदण्ड की कार्यवाही)

कोरबा 15 मार्च 2019 –आयुक्त श्री एस.के. दुबे ने नगर के व्यवसायियों से अपील करते हुए कहा है कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग्स डिस्पोजल, क्लोरिनयुक्त फ्लैक्स, क्लोरिनयुक्त पी.व्ही.सी.सीट का विक्रय उपयोग, भण्डारन, निर्माण आदि न करें अन्यथा इनका उपयोग करते पाए जाने पर नियमों के तहत जप्ती व अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाएगी।

यहां उल्लेखनीय है कि नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में प्लास्टिक कैरीबैग अल्पजीवन पी.व्ही.सी. एवं क्लोरिनयुक्त प्लास्टिक पी.व्ही.सी. के बैनर, फ्लैक्स होडिंग, फोम बोर्ड तथा खान पान के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुओं का निर्माण व उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है, नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा इन प्रतिबंधित सामग्रियों के उपयोग को रोकने की दिशा में समय–समय पर कार्यवाही सतत रूप से की जा रही हैं। आयुक्त श्री एस.के. दुबे ने नगर के व्यवसायियों से अपील करते हुए कहा है कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग्स डिस्पोजल, क्लोरिनयुक्त फ्लैक्स, क्लोरिनयुक्त पी.व्ही.सी.सीट का विक्रय उपयोग, भण्डारन, निर्माण आदि न करें अन्यथा इनका उपयोग करते पाए जाने पर नियमों के तहत जप्ती व अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाएगी। उन्होने निगम के अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि वे प्रतिबंधित सामग्रियों के उपयोग पर कड़ी नजर रखें, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों आदि का नियमित रूप से निरीक्षण करें तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग्स, डिस्पोजल व अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों का भंडारन व उपयोग करते पाए जाने पर नियमानुसार जप्ती व अर्थदण्ड की कार्यवाही करें।